# राजस्व लोक अदालत केम्प थोब तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 76 /2018 2018/01049

वादीगण :– 1 विजयसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. थोब तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
2. खंगारसिंह पुत्र रामसिह
3. प्रवीणसिंह पुत्र रामसिंह
4. रघुवीरसिंह पुत्र दुर्गसिंह
5. धीरेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह
6. कुलदीपसिंह पुत्र दुर्गसिंह, नावालिंग वली माता पुष्पाकंवर बेवा दुर्गसिंह
7. तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार

दावा बाबत घोषणा निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

**निर्णय** दिनांकः–23.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय थोब प्रस्तुत की गई।

वादी विजयसिंह पुत्र रामसिंह ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल थोब में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम थोब के खसरा संख्या 891 रकबा 77.04 ग्राम राजपुरा खसरा न0 299 रकवा 191 बीघा रामसिंह पुत्र इन्द्रसिह के नाम खातेदारी है। उक्त आराजी रामसिंह के पिता इन्द्रसिंह पुत्र हडमतसिंह से प्राप्त एवं पैतृक होने से पुत्र व पोते का हिन्दू अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार जन्म से अधिकार होता है।

वादी का ~~वादी~~ वाद दायर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित होकर बयान दिये व वादी व प्रतिवादीगण मे राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया।

वाद व प्रतिवादीगण के ब्यानानुसार रामसिंह के चार पुत्र विजयसिंह, खंगारसिंह, प्रवीणसिंह पुत्र रामसिह एवं दुर्गसिंह पुत्र रामसिंह जिनका देहान्त हो चुका जिनके वारिसान रघूवीरसिंह, धीरेन्द्रसिंह, कुलदीपसिंह पुत्र दुर्गसिंह, पुष्पाकंवर पत्नि स्व0 दुर्गसिंह हैं। वादी व प्रतिवादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया जिसके अनुसार रामसिंह व दुर्गसिंह के जायन्दा पुत्रियां नहीं है।

वादी के बयान प्रतिवादीगण के बयान राजीनामा व मजमे आम पुछताछ की गयी। व पटवार हल्का थोब भू.अ. नि. थोब की टिप्पणी के अनुसार उक्त आराजी पैतृक है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.............

Scanned by CamScanner

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम थोब के खसरा न0 891 रकबा 77.04 ग्राम राजपुरा के खसरा न0 299 रकबा 191 बीघा मे वादी विजयसिंह पुत्र रामसिंह 1/5 हिस्सा प्रतिवादी खंगारसिंह, पुत्र रामसिंह का 1/5 हिस्सा, प्रवीण सिंह पुत्र रामसिंह का 1/5 हिस्सा, रघुवीरसिंह, धिरेन्द्रसिंह, कुलदीप सिंह पि. दुर्गसिंह, पुष्पाकंवर पत्नि दुर्गसिह का 1/5 हिस्सा, रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 1/5 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।
डिकी पर्चा अलग से जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-5

# मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [illegible]
## (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी [illegible] RAS

[illegible] उनवान बनाम [illegible]

दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नम्बर :- 76/18

निर्णय दिनांक :- 23.05.2018

वादी की ओर से [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.05.2018 को [illegible] (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, [illegible] के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

[illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी [illegible]
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर, [illegible]



Scanned by CamScanner